बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

संसं0 5(स0)/आयडा (Enabling Act, 2006)–04/2021––7213
उद्योग विभाग

संकल्प
26 दिसम्बर 2023

विषय :–बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम- 2006 की धारा 16 एवं 17 की शक्तियों को सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रत्यायोजित करने एवं अतिथि–सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) को P.P.P परियोजनाओं हेतु अधिसूचित करने के संबंध में।

1. राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से सम्बद्ध विषयों पर प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब कम करने तथा विशेष परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिये बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 (Bihar State Infrastructure Development Enabling Act, 2006) लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।

2. रियायती एकरारनामा (Concession Agreement) अत्यंत तकनीकी दस्तावेज है, जिसके मूल्यांकन के लिए पूर्व से आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार गठित है। वर्तमान में राज्य स्तर पर कतिपय परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुमोदन हेतु उक्त अधिनियम में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः अधिनियम की धारा 68 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आधारभूत संरचना सामर्थ्यकारी (Enabling) अधिनियम, 2006 की धारा 16 एवं 17 की शक्तियों को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रत्यायोजित करती है। इस प्रत्यायोजन के फलस्वरूप सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय निकाय से जन–निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन के पश्चात् सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जायेगा, परंतु प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् रिक्वेस्ट फोर प्रपोजल (RFP) एवं रियायती इकरारनामा (DCA) पर स्वीकृति आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा इस हेतु गठित प्राधिकृत समिति के अनुशंसा के पश्चात् दी जा सकेगी।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की Empowered Committee की 09 मार्च 2021 को हुई बैठक की कंडिका–4 अतिथि–सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) सहित शिक्षा आदि सेक्टर को भी बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 के अनुसूचि–III में जोड़ने का सुझाव दिया गया है। तद्नुसार बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम, 2006 के अनुसूचि–III के बिन्दु 15 पर दिये गये प्रावधान के अनुसार अतिथि–सत्कार प्रक्षेत्र (Hospitality Sector) को P.P.P. परियोजनाओं हेतु अधिसूचित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अपर मुख्य सचिव।